भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3282
उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

अनुकूलित क्रेडिट कार्ड योजना

3282. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुकूलित क्रेडिट कार्ड योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पहले वर्ष में सूक्ष्म उद्यमों के लिए दस लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो पात्र व्यवसायों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इन क्रेडिट कार्डों के लिए सूक्ष्म उद्यमों हेतु पात्रता मानदंड क्या हैं तथा सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों को लाभ मिले;

(घ) क्रेडिट कार्डों की ब्याज दरें, पुनर्भुगतान सारणी और अन्य शर्तें किस प्रकार निर्धारित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूक्ष्म उद्यमों को अधिक बोझ डाले बिना किफायती वित्त दिया जा सके; और

(ङ) देश में सूक्ष्म उद्यमों की वृद्धि और सततता पर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव की निगरानी व मूल्यांकन करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : केंद्रीय बजट 2025-26 में यह घोषणा की गई थी कि सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पहले वर्ष में, इस प्रकार के 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे और बजट घोषणा का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

*****